# तथ्यात्मक एवं कार्यवाही रिपोर्ट

## मूल परिवाद क्रमांक 06/2022 (CZ) चिराग चौपडा बनाम जिला कलक्टर

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल के प्रकरण मूल आवेदन क्रमांक 06/2022 (CZ) चिराग चौपडा बनाम जिला कलक्टर में दिनांक 01.02.2022 को दिए गए आदेश की अनुपालना में उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ को प्रकरण में वर्णित खसरा संख्या 325, हिरण नदी, पाण्डवसाथ, कुशलगढ के नदी पेटे में अनअधिकृत एवं अवैध अतिक्रमण के संबंध में जांच हेतु निर्देशित किया गया। उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ ने तहसीलदार, कुशलगढ से प्रकरण की जांच करवाकर जांच रिपोर्ट (संलग्नक–अ, 03 पृष्ठ) दिनांक 10.02.2022 को प्रस्तुत की गयी। तहसीलदार कुशलगढ की जांच में यह पाया गया की राजस्व ग्राम कुशलगढ़ के खाता संख्या 01 खसरा नम्बर 325 रकबा 3.9740 है. किस्म नाला/नाली श्री सरकार राजस्व रिकार्ड दर्ज होकर नदी के समीप पश्चिम दिशा में लगभग (उत्तर में 10 , मध्य में 40, दक्षिण में 20) फीट अन्दर रिगंवाल उत्तर–दक्षिण लम्बाई लगभग 310 फीट होकर घुमावदार आकृति में बनी हुई है। नदी की चौडाई लगभग 340 फीट है, जो रिगंवाल निर्माण के पश्चात उत्तर दिशा 10 फीट चौडाई होने से नदी की चौडाई लगभग 330 फीट रहती है, उसी क्रम में मध्य भाग में 40 फीट चौडाई होने से नदी चौडाई लगभग 300 फीट रहती है तथा दक्षिण दिशा 20 फीट चौडाई होने से नदी की चौडाई लगभग 320 फीट रहती है। नदी का पाट घुमावदार होने से उत्तर दिशा मे कम होकर मध्य में ज्यादा एवं दक्षिण दिशा कम होता जा रहा है। उक्त खसरा संख्या 325 से लगता हुआ खसरा संख्या 225 होकर नगरपालिका कुशलगढ की आबादी भूमि दर्ज रिकार्ड है जिसके आबादी भूमि नदी किनारे बहुत सारे मकान निर्मीत है। नगरपालिका कुशलगढ़ से जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात आया की प्रश्नगत भूमि में रिगंवाल बनाने का औचित्य नदी क्षेत्र से लगती हुई आबादी भूमि में निर्मित मकानों को वर्षा काल में पानी के भराव या कटाव से रोकने हेतु पिछले वर्ष निर्माण कराया गया है।

तत्पश्चात जिला कलक्टर बांसवाडा के आदेश क्रमांक एफ 16(14) विधि/2022/260 दिनांक 16.02.2022 द्वारा प्रकरण की संयुक्त जांच हेतु निम्न संयुक्त जांच दल के सदस्यों की समिति का गठन किया गया–

1. उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ।
2. तहसीलदार, कुशलगढ़।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका कुशलगढ़ ।
4. क्षेत्रिय अधिकारी, रा.प्र.नि.म. बांसवाडा।

इसी दौरान मूल आवेदन संख्या 09/2022 (CZ) उषा प्रजापत एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य को भी मूल परिवाद क्रमांक 06/2022 (CZ) चिराग चौपडा बनाम जिला कलक्टर के साथ माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल के आदेश दिनांक 03.02.2022 द्वारा समेकित किया गया।

उपर्युक्त वर्णित संयुक्त जांच दल द्वारा खसरा संख्या 325, हिरण नदी, पाण्डवसाथ, कुशलगढ़ के क्षैत्र का दिनांक 21.03.2022 को संयुक्त निरीक्षण किया गया । संयुक्त निरीक्षण के दौरान प्रकरण में पूर्व में तहसीलदार कुशलगढ द्वारा की गयी जांच के तथ्य सत्य पाए गए। संयुक्त जांच दल द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार मौका निरीक्षण के दौरान उक्त रिगंवाल को ध्वस्त कर हटाने का कार्य प्रगति पर पाया गया। उक्त रिंग वॉल को पूर्णतया हटाने के लिए 10 दिवस का समय ओर लगने की सभावना है। अतः उक्तानुसार अंतरिम रिपोर्ट प्रेषित है।

रिंग वॉल पूर्णतः हटाने के उपरांत अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी जावेगी।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

(आशीष कुमार बौरासी)
क्षैत्रिय अधिकारी
रा.प्र.नि.म. बांसवाड़ा

Scanned with CamScanner

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़,जिला–बांसवाड़ा (राज.)

एफ ( ) वाचक/2021/06 दिनांक – 10.02.2022

प्रेषिति :–
श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय,
बांसवाडा (राज.)

कार्यालय जिला कलक्टर बांसवाड़ा
क्रमांक 1956
10 FEB 2022
अनुभाग विधि
AO/ADM/DM

विषय :– राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल (म.प्र.) में दर्ज प्रकरण संख्या 06/2022 चिराग चौपडा वनाम श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बांसवाडा (राज.) के संबंध मे रिपोर्ट भिजवाने बावत् ।

प्रसंग :– श्रीमान का पंत्राक एफ 16( ) विधि/2020/133 दिनांक 07.02.2022 के क्रम मे

महोदय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व ग्राम कुशलगढ के खाता संख्या 01 खसरा नम्वर/325 रकवा 3.9740 है0 किस्म नाला/नाली में निर्मित रिंगवाल के सम्वन्ध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल (म.प्र.) में दर्ज प्रकरण संख्या 06/2022 के क्रम में मौका अनुसार जांच तहसीलदार कुशलगढ से करवाई गई जॉच रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम कुशलगढ के खाता संख्या 01 खसरा नम्वर 325 रकवा 3.9740 है0 किस्म नाला/नाली श्री सरकार नदीयॉं तथा नाले राजस्व दर्ज रेकॉर्ड होकर नदी के समीप पश्चिम दिशा में लगभग (उत्तर में 10, मध्य में 40, दक्षिण में 20) फीट अन्दर रिंगवाल उत्तर–दक्षिण लम्बाई लगभग 310 फीट होकर घुमावदार आकृति में रिंगवाल वनी हुई हैं। नदी की चौडाई लगभग 340 फिट है, जो रिंगवाल निर्माण के पश्चात उत्तर दिशा 10 फिट चौडाई होने से नदी की चौडाई लगभग 330 फिट रहती है, उसी क्रम में मध्य भाग में 40 फिट चौडाई होने से नदी की चौडाई लगभग 300 फिट रहती है, तथा दक्षिण दिशा 20 फिट चौडाई होने से नदी की चौडाई लगभग 320 फिट रहती है। नदी का पाट घुमावदार होने से उत्तर दिशा में कम होकर मध्य में ज्यादा एवंम दक्षिण दिशा कम होता जा रहा है। उक्त खसरा संख्या 325 से लगता हुआ खसरा संख्या 225 होकर नगर पालिका कुशलगढ की आवादी भूमि दर्ज रेकॉर्ड है जिसकी आवादी भूमि में नदी किनारे वहुत सारे मकान निर्मित है। नगर पालिका कुशलगढ से जानकारी करने पर ज्ञात आया की प्रश्नगत भूमि में रिंगवाल वनाने का ओचित्य नदी क्षेत्र से लगती हुई आवादी भूमि में निर्मित मकानों को वर्षाकाल में पानी के भराव/कटाव से रोकने हेतु निर्माण किया गया है।

उक्त सम्वन्ध में प्रकरण संख्या 5153/2021 दिनांक 15.12.2021 राज. भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत तहसील कार्यालय में अधिशापी अधिकारी नगर पालिका एवंम नगर पलिका अध्यक्ष कुशलगढ के विरुद्व दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया गया है। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा पेशी दिनांक 08.02.2022 को जवाव दावा पेश किया गया है एवंम अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में वहस हेतु समय चाहे जाने पर आगामी पेशी तिथि 15.02.2022 दी गई है।

अतः रिपोर्ट पत्र के संलग्न श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है।

संलग्न – यथोचित / फोटो

10.2.22
(हेमराज परिडवाल)
उपखण्ड कुशलगढ़
जिला बॉंसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार साहब
कुशलगढ़

विषय :- राष्ट्रीय हरित आधिकरण भोपाल में दर्ज प्रकरण संख्या 06/2022 के सम्बन्ध में रिपोर्ट पेश करने बाबत्।

Reader
[illegible]
08/02/2022

महोदयजी,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम कुशलगढ़ के खसरा संख्या 325 रकबा 3.9750 हेक्टेयर किस्म नाला/नाली में निर्मित रिंगवाल के सम्बन्ध में राष्ट्रीय हरित आधिकरण भोपाल में दर्ज प्रकरण संख्या 06/2022 की जांच मौके पर राजस्व रेकार्ड से की गई। राजस्व रेकार्ड से मौके की जांच करने पर पाया कि राजस्व ग्राम कुशलगढ़ का खसरा संख्या 325 रकबा 3.9750 हेक्टेयर किस्म नाला/नाली नदीमानिन्द नाले शजरा में दर्ज रेकार्ड होकर नदी के समीप पश्चिम दिशा में नदी पेटे में 40 फीट अन्दर रिंगवाल उत्तर-दक्षिण लम्बाई लगभग 310 फीट होकर घुमावदार आकृति में रिंगवाल बनी हुई है। नदी की चौड़ाई उत्तर दिशा में ज्यादा होकर दक्षिण दिशा की तरफ कम होती जा रही है। मौके पर उपस्थित मोतबिरान

Scanned with CamScanner

से पूछताछ करने पर बताया कि प्रश्नगत रिमवाल नदी पेटा भूमि से लगती हुई आबादी भूमि में निर्मित मकानो में वर्षाकाल में पानी के भराव को रोकने हेतु बनाना बताया गया।

अतः रिपोर्ट श्रीमानजी की सेवामें आगामी कार्यवाही हेतु पेश है।

विनीत

[signature]

पटवारी

संलग्न

1) मौका पर्चा
2) जमाबन्दी नकल
3) नक्शा ट्रेस
4) फोटोग्राफ -

Scanned with CamScanner

# मौका पर्चा

आज दिनांक 07/07/2022 को मैं पटवारी हल्का कुशलगढ़, हमराह तहसीलदार साहब कुशलगढ़ के राजस्व ग्राम कुशलगढ़ के खसरा संख्या 325 रकबा 3.9750 हेक्टेयर किस्म नाला/नाली में निर्मित रिटेनिंग वाल के सम्बन्ध में दर्ज प्रकरण संख्या 06/2022 राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल की जांच हेतु मौके पर पहुंचे।

मौके पर राजस्व रेकार्ड का अवलोकन करने पर पाया कि राजस्व ग्राम कुशलगढ़ का खसरा संख्या 325 रकबा 3.9750 हेक्टेयर किस्म नाला/नाली सीरकार नदीया तथा नाले दर्ज रेकार्ड है। उक्त वर्णित खसरा संख्या 325 के लगता हुआ खसरा संख्या 225 होकर नगरपालिका की आबादी भूमि दर्ज रेकार्ड है। नगरपालिका कुशलगढ़ की आबादी भूमि में नदी किनारे बहुत सारे मकान निर्मित होना पाया गया। प्रश्नगत खसरा संख्या 325 में नगरपालिका कुशलगढ़ द्वारा लगभग 40 फीट अन्दर नदी पेटे की भूमि पर रिटेनिंग वाल का निर्माण किया गया है। रिटेनिंग वाल की लम्बाई लगभग 310 फीट है। मौके पर उपस्थित मौतबिरान से पूछताछ करने पर बताया गया कि प्रश्नगत रिटेनिंग वाल नदी पेटे से लगती हुई आबादी भूमि में निर्मित मकानों को वर्षाकाल में पानी के भराव को रोकने हेतु बनाया गया है।

— P.T.O —

मौका पर्चा मौके पर तेहरीर कर पढ़कर
सुनाने के पश्चात अंगूठा निशानी / हस्ताक्षर
करवाए गए जो वक्त जरूरत काम आवे

पटवारी कुशलगढ़

प्रेम

TDR KGH
07/02/2022

Scanned with CamScanner

21 Mar 2022 15:48:53
Kushalgarh
Banswara
Rajasthan

21 Mar 2022 15:52:35
Kushalgarh
Banswara
Rajasthan

21 Mar 2022 15:51:36
Kushalgarh
Banswara
Rajasthan

21 Mar 2022 15:53:45
Kushalgarh
Banswara
Rajasthan